

प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं०प्र०सं० की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र०सु०रि०स० 09
दिनांक 09.12.2013
2. धारा 7 पी०सी० एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 09.12.2013
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 09.12.2013 समय 02:00 पी०एम०.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 10
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) थाने से दिशा एंव दूरी करीब 20 कि०मी० रायपुररानी
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
नाम रामबीर
पिता का नाम स्व०श्री कीडूराम
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय खेतीबाड़ी
पता गांव सरकपुर तहसील जिला पंचकूला
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण :-
सेहन लाल पटवारी रायपूररानी
लिंग पुरुष
भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :- सेवा मे पुलिस अधिकारी मु० राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला, श्री मान जी निवेदन है कि मै रामबीर वासी सरकपुर तहसील व जिला पंचकूला का रहने वाला हूँ खेतीबाड़ी का काम करता हूँ मेरी जमीन मौजा सरकपुर हदबस्त न० 14 खेवट न० 731170 मे विरासत पर इन्तकाल दर्ज हुआ था मेरे सभी भाईयों प्रीतम सिंह उर्फ वेद प्रकाश, महाबीर, धर्मपाल जसबीर, अशोक कुमार पुत्र कीडूराम सुरेश कुमारी पुत्री कीडूराम रेखा रानी विधवा रणबीर सिंह, कोमल पुत्री रणधीर सिंह अमनदीप, रमनदीप पुत्र रणधीर सिंह, कलासो देवी माता रणधीर सिंह वासी सरकपुर इन सभी के नाम दर्ज हो गये थे परन्तु गलती से मेरा रामबीर पुत्र कीडूराम दर्ज होने से छुट गया सेहत का इन्तकाल दर्ज करने के लिए सोहन लाल पटवारी हल्का के पास कई बार गया तहसीलदार से दरखास्त मार्क करवा कर भी दी लेकिन पटवारी 2500 रू० रिश्वत मांग रहा है । जो मै उसे देना नही चाहता । कृप्या करके कानूनी कार्यवाही की

जाये । रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि रायपुरानी पहुंच कर पेश कर दूंगा । हस्ता:- रामबीर कार्यवाही पुलिस :- आज दिनांक 9.12.13 को मुदई रामबीर पुत्र कीडूराम निवासी गांव सरकपूर तहसील व जिला पंचकूला की दरखास्त उपरोक्त प्राप्त हुई । मुदई ने इस बारे अपना शपथ पत्र भी पेश करने बारे कहा । दरखास्त मार्क शुदा जनाब पुलिस अधीक्षक वा शपथ पत्र मजबून में जेरधारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है । मन नि० मय ई.एस.आई हरीकृष्ण, ई.ए.एस.आई रणजीत सिंह 70 अम्बाला चालक वा सवारी गाड़ी सरकारी कार न० एच.आर. 0226ए-9990 मय तफतीशी बैग मय मुदई रामबीर के रवाना मौका का होता हूँ । मुदई ने रिश्वत की दी जाने वाली राशी मु० 2500/-रु० रायपुरानी पहुंच कर पेश करने बारे कहा । तहरीर बराये कायमी मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला भेजी जा रही है । मिसल मुकदमा मौका पर भिजवाई जावे । सि० नन्द लाल न० 247 पंचकूला हाजिर मुख्यालय है जिसको तहरीर दे कर रवाना थाना रा०चौ०ब्यूरो पंचकूला किया जा हर है । हस्ता:- सुरेश कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला दिनांक 9.12.13 एट 1:25 पी.एम। अज थाना:- उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके स्पेशल रिपोर्ट प्रथम सूचना सेवा में ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला व नकूलात प्रथम सूचना उच्च अधिकारियों की सेवा में असल मिसल मय तहरीर बदस्त सि० नन्द लाल न० 247 पंचकूला बरमौका भिजवाई जा रही है ।

अनुसंधान अधिकारी :- नि० सुरेश कुमार रा०चौ०ब्यूरो, (मु), पंचकूला ।

ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला
बदहस्त सि०नन्द लाल 247 पंचकूला

हस्ता:-

नि० सुरेश कुमार 191/एच.ए.पी
थाना रा०चौ०ब्यूरो,
पंचकूला । दि० 9.12.13

प्रेषक

प्रबन्धक थाना,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला ।

सेवा में

पुलिस अधीक्षक,
राज्य चौकसी ब्यूरो,
हरियाणा, पंचकूला ।

क० /थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला दिनांक

विषय:— मुकदमा न० 02 दिनांक 17.1.14 जेरधारा 7, पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला ।

यादी:

उपरोक्त अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की टाईपशुदा चार प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतू सेवा में प्रेषित हैं ।

प्रबन्धक थाना,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,
हरियाणा, पंचकूला ।